01.04.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण उत्तम, रामकिशन, मनु व देवेन्द्र हाजिर है। शेष अभियुक्तगण अनूप कुमार व सोहन की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त रामदास जेल में निरुद्ध है। अभियुक्त रामदास की ओर से प्रार्थना पत्र 14 ख प्रस्तुत करके यह कहा गया कि उसे चार्जशीट की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण चार्ज पर बहस किया जाना संभव नहीं है, परंतु विद्वान मजिस्ट्रेट के कमिटल आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण को पुलिस प्रपत्रों की प्रतियां धारा 207 द.प्र.सं. के अन्तर्गत दी जा चुकी है। पत्रावली इस न्यायालय में दिनाँक 11.01.2021 से लंबित है और पत्रावली में पूर्व में कई तिथियां नियत हो चुकी है, परंतु पूर्व में अभियुक्त रामदास द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया कि उसे पुलिस प्रपत्रों की प्रतियां प्राप्त नहीं हुई हैं, जबकि प्रतियां प्राप्त न होने पर उसके द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर ही प्रतियों हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता था। जिससे यही प्रतीत होता है कि अभियुक्त द्वारा जानबूझकर वाद को विलंबित करने का प्रयास किया जा रहा है अतः अभियुक्त रामदास की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 ख निरस्त किया जाता है। आरोप हेतु पत्रावली दिनाँक 14.04.2021 को पेश हो। उक्त तिथि पर सभी अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित आयेंगे।

सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।

Digitally signed by MOHD RIAZ
Date: 2021.04.01 16:57:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court